

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 109/प्र030(त0स0 2)/जोन-2/प्रस्ता0/2015-16 दिनांक 02/04/2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस मूक्ति के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मासिकला अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिकृत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गन्तन खॉं, श्री अब्दुल रहमान खॉं, श्री इस्लाम खॉं, श्री अब्दुल रहीम खॉं, श्री अब्दुल्ला खॉं व श्री करीम पुत्र स्या0 अब्दुल बहाव हाथ मकान नं0-355 पुराना कटरा, परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद जंन संख्या (2) के अन्तर्गत मासिक व्यवसायिक भवन मानचित्र के काम में निर्मांकित प्रतिबन्धों के अर्थन प्रदान की जाती है -


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राधिकारों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लगभग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.5 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनारंभ (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात्, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मात किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वस्तुविक्रय उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सन्बन्धी नियमों अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व स्वयं आवेदकगण का होगा।
5. प्रस्तुत मानचित्र भूतल के ऊपर भाग पर पारिंग सहित शॉप, अथवा एव द्वितीय तल पर भी शॉप का निर्माण को अनुमति हेतु है। तदनुसार ही निर्माण कार्य किया जाये।
6. स्थल पर मौजूद पुराने निर्माण को स्ट्रक्चर इन्जीनियर की देख-रेख में पुराना करना होगा तथा यह सुनिश्चित भी किया जाय कि अगल-बगल की सम्पत्ति अथवा जन-धन की हानि कदापि न होने पाये। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 15.03.2016 का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
7. नाननीय न्यायालय में कोई वाद होये अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति नाननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति गू-रगणित का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सन्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न समय पर जारी शासनदेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत नानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. नकल निर्माण से यदि नाली के सटक की पटरी अथवा सटक या नाली के किसी भाग (जो मजान के आग्र भाग, पूछ भाग अथवा उसके अकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो नूडरस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोध कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चों से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देना।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रचना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1950 (इम्प्लियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1965) नियम 62 का उल्लंघन किसी भी पक्षा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मजान की रॉब तक तथा फल तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान अबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आगमों का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशानुसार नकल निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में गारटर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकारों को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जावेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की जावेगी।

15/04/16


(मुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्यकारी



FIRST & SECOND FLOOR PLAN



TERRACE PLAN



EXISTING SECOND FLOOR PLAN (TO BE DEMOLISHED)



EXISTING FIRST FLOOR PLAN (TO BE DEMOLISHED)



STILT FLOOR PLAN




SITE PLAN



EXISTING GROUND FLOOR PLAN (TO BE DEMOLISHED)

KEY PLAN (N. T. S.)



FRONT ELEVATION



SECTION AT 'AB'

FOUNDATION DETAIL (SCALE-1:50)

AREA STATEMENT		
S. N.	DESCRIPTIONS	AREA IN SQM
1.	TOTAL PLOT AREA	99.25
2.	ROAD WIDENING AREA	19.00
3.	NET PLOT AREA	80.25
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (40% OF N.P.A.)	32.10
5.	PERMISSIBLE F.A.R. (1.20 OF N.P.A.)	96.30
6.	PROPOSED COVERED AREA AT GROUND FLOOR	32.08
7.	OPEN AREA	48.17
8.	PROPOSED COVERED AREA AT FIRST FLOOR	32.08
9.	PROPOSED COVERED AREA AT SECOND FLOOR	32.08
10.	TOTAL FLOOR AREA	96.24
11.	TOTAL MUMTY AREA	7.37
12.	ADOPTED GROUND COVERAGE AREA	40%
13.	ADOPTED F.A.R.	1.20
14.	EXIST. GROUND FLOOR AREA (TO BE DEMOLISHED)	78.45
15.	EXIST. FIRST FLOOR AREA (TO BE DEMOLISHED)	30.02
16.	EXIST. SECOND FLOOR AREA (TO BE DEMOLISHED)	30.02

LEGEND		
PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS	[Symbol]	
OLD EXISTING TO BE DEMOLISHED S. T.	[Symbol]	
RAIN WATER PIPE SHOWN THUS	[Symbol]	RWP

SCHEDULE OF DOOR/WINDOW		
S.N.	PARTICULAR	SIZE
1.	DOOR D1	1050X2400
2.	D2	1000X2400
3.	D3	900X2000
4.	D4	750X2000
5.	WINDOW W5	1550X1850
6.	W6	1200X1850
7.	W7	1200X1560
8.	W8	900X1850
9.	W9	900X 450



PROJECT
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO-355, AT OLD KATRA, ALLAHABAD

DRG. NO.	HMC/PROP-0101/APRIL-15
SHEET NO.	1
SIZE	A2
DETAILED BY:	PINKY JAISWAL
CHECKED BY:	Er. MITHLESH KUMAR
SCALE	1:100
REV. DATE-	JAN-16

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPVIDHI 2012

Er. MITHLESH KUMAR
R. Tech. (Civil) M. E.
Regd. No. M-148374-D
THE INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA)

SIGN OF OWNER: SEAL & SIGN. OF ENGINEER

OWNER-

1. Mr. MANAN KHAN
2. Mr. ABDUL RAHMAN KHAN
3. Mr. ISLAM KHAN
4. Mr. ABDUL RAHEEM KHAN
5. Mr. ABDULLA KHAN
6. Mr. KAREEM

ALL S/O Mr. ABDULWAHAB KHAN

HOME MAKER'S AND CONSULTANT
CORPORATE ENGINEERS, ESTIMATOR, PLANNING, STRUCTURAL ENGINEER & CHARTERED SURVEYORS
907-70A/22, STANLEY ROAD, NEHA VIHAR, CROSSING, ALLAHABAD. MOBILE-9040009110
email-mithleshk@rediffmail.com